"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2003—आषाढ़ 6, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री के. के. चक्रवर्ती, भा. प्र. से. (1970), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन, संस्कृति एवं शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ पदेन प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग घोषित किया जाता है. उक्त हैसियत में वे केवल इलेक्शन कमीशन के क्षेत्रों से संबंधित प्रकरणों को ही संव्यवहारित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2003

क्रमांक 524/597/2003/1/एक.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1462/248/एक (1) दिनांक 2 अप्रैल, 1664 एवं तत्पश्चात् प्रसारित आदेश क्रमांक एफ-ए-1-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

22/97/एक (1) दिनांक 24 अप्रैल, 1998 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य पूर्वता सारणी के सरल क्रमांक 23 निम्नानुसार पढ़ा जावें :—

आर्टिकल क्रमांक	नाम
23	(1) राज्य के केबीनेट मंत्री (2) उच्च न्यायालय के प्यूनि न्यायाधीश. (3) राज्य चुनाव आयुक्त, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक एफ. ए. 3-13/2003/1/एक.—राज्य शासन, श्री लक्ष्मण मस्तुरिया, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ी भाषा परिषद् को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर दिनांक 13 जून, 2003

क्रमांक 1413/1175/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 1-7-2003 से 11-7-2003 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12, 13-7-2003 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका चालू प्रभार, श्री आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर, दुर्ग, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-10-42/2003/सत्रह/एक.—राज्य शासन, एतद्द्वारा जिला चिकित्सालय, रायगढ़ में एक अतिरिक्त विंग जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. इस निर्मित अतिरिक्त विंग का नामकरण ''अग्रसेन महिला चिकित्सालय'' के नाम पर तत्काल प्रभाव से करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. वर्मा, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-6-42/गृह/2001.—छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) की धारा 9 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2003

क्रमांक एफ-6-42/गृह/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 5 अप्रैल, 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, उप-सचिव.

Raipur, the 5th April 2003

No. F-6-42/Home/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 9 (1) of Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoint Secretary/Principal Secretary, Home, Chhattisgarh Government as appellate authority for the purpose of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BRAJESH CHANDRA MISHRA, Deputy Secretary.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2003

क्रमांक एफ-9-27/गृह/दो/2003.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2003 को प्रश्न-पत्र "लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	निम्नस्तर	
	कलेक्टर रायपुर	
1.	श्री देश कुमार कुर्रे	राजस्व निरीक्षक
	कलेक्टर बस्तर	
2.	श्री धनऊराम भूआर्य	राजस्व निरीक्षक

2. निम्नांकित परीक्षार्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न-पत्र में आगामी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्रदान की जाती हैं :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	प्रश्न-पत्र	स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	कलेक्टर बस्तर			
1.	श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	प्रथम	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक एफ-1-7/दो/आठ-परि./2003.—राज्य सरकार का मत है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है;

अतः छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मिशनरी ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा, राजेन्द्र नगर, रायपुर के स्वामित्व की एम्बुलेंस, जो निम्नानुसार निर्दिष्ट है को इस अधिनियम के जारी होने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 3 में उदग्रहणीय मोटरयान कर से छूट देती है.

वाहन का प्रकार - Ambulance-Sumo

इंजिन क्रमांक - 715257

चेसिस क्रमांक - 917325

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2003

क्रमांक एफ-1-7/दो/आठ-परि./2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31-5-2003 का अंग्रेजी अनुवाद

राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 31st May 2003

No. F-1-7/Two/Eight-Tr./2003.—Whereas the State Government is of the opinion that it is necessary to do so in the public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, the State Government hereby excpmt the Ambulance owned by the Missionaries of Charity Mother Teressa, Rajendra Nagar, Raipur as specified below from payment of Motor Vehicle Tax leviable under section 3 of the said act with effect from the date of issue of this notification.

Vehicle type - Ambulance-Sumo

Engine No. - 715257

Chasis No. - 917325

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक डी/3704/1445/21-ब/छग/2003.—इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक 5605/1695/21-ब/छग/ दिनांक 22-10-2001 को अतिष्ठित करते हुए भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872), की धारा 6 एवं 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर एस. एस. लाल, जोगी चाल पेण्ड्रारोड, बिलासपुर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में;

(1) विवाह अनुष्ठापित कराने, और,

(2) भारतीय क्रिश्चयन (ईसाईयों के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु) संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

Raipur, the 10th June 2003

No. D/3704/1445/21-B/C.G./2003.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872) the superseded of this department Notification No. 5605/1695/21-B/C.G., dated 22-10-2001. The State Government hereby pleased to grant licence to the Minister of Religion Paster S. S. Lal, Jogi Chal, Pendra Road, Bilaspur for whole State of Chhattisgarh:

(1) The solemanise Marriage, and

(2) to grant certificate of Marriage between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 3707/1022/2003/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, श्री मदनमोहन त्रिपाठी, लोक अभियोजक, अंबिकापुर, सरगुजा को दिनांक 1-3-2003 से पुन: एक वर्ष की कालावधि के लिये अंबिकापुर सत्र खण्ड के अंबिकापुर राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 3713/1022/2003/21-ब (छ. ग.).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजेश सिंह, अधिवक्ता, सरगुजा अंबिकापुर को पुन: 1-3-2003 से पुन: एक वर्ष की कालावधि के लिये सत्र खण्ड के सरगुजा के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2003

क्रमांक 3731/1377/21-ब/छ. ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री प्रभाशंकर बाजपेयी को पुन: एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से रायपुर सत्र खण्ड के बलौदा बाजार के लिये प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2003

क्रमांक 3737/1377/21-ब/छ.ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दिनेश यदु को पुन: कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए रायपुर सत्र खण्ड के बलौदा बाजार के लिए द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2003

क्रमांक 3740/869/21-ब/(छ.ग.)/2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ए. एम. राबरा को दिनांक 27-4-2003 के पुन: एक वर्ष की कालावधि के लिये रायगढ़ सत्र खण्ड के रायगढ़ राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2003

क्रमांक 3746/1200/21-ब/छ.ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद मौर्य, प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक रायगढ़ को दिनांक 1-3-2003 से पुन: एक वर्ष की कालावधि के लिये रायगढ़ सत्र खण्ड के रायगढ़ राजस्व जिले के लिये प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती

रायपुर, दिनांक 12 जून 2003

क्रमांक 3750/1200/21-ब/छ.ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा कुमारी लक्ष्मी शर्मा को दिनांक 23-4-2003 से एक वर्ष की कालावधि के लिए रायगढ़ सत्र खण्ड के राजस्व रायगढ़ जिले के लिए द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक एफ 5-5/खाद्य/2003/29.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर की श्रृंखला बैठकें बिलासपुर में आयोजित करने की अनुमति प्रदान करता है.

Raipur, the 10th June 2003

No. F 5-5/Food/2003/29.—The State Government have permitted to arrange the circuit sittings of Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission, at Bilaspur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. विश्वकर्मा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 अगस्त 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/रा. प्र. क्र. 11/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांसा प. ह. नं. 6	6.896	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जांजगीर-चांपा.	घटोई जलाशय के अंतर्गत डुबान में आने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक-क/भू-अर्जन/25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	चांपा प. ह. नं. 2	0.036	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स, चांपा.	चांपा रेलवे अंडर ब्रिज सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/4/अ-82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	भरूवाडीह प. ह. नं. 17/33	0.897	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 2, रायपुर.	भरूवाडीह बिजराडीह मार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2003

क्रमांक 746/ले. पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुंडरदेही	कुड़िया	33.50	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जोगनाला जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन (मु. दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जून 2003

क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	गुंजेरा	20.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	एरमशाही जलाशय

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 जून 2003

क्रमांक 1134/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	डंगनिया प. ह. नं. 6	2.94	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	टेंगना नाला व्यपवर्तन के (डुबान).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 जून 2003

क्रमांक 1137/प्र. 1/अविअ/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	उरला प. ह. नं. 17	4.15	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन, दुर्ग.	उद्वहन सिंचाई विभाग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 जून 2003

क्रमांक 1140/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	सिरनाभाठा प. ह. नं. 6	0.66	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	टेंगना नाला व्यपवर्तन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2003

क्रमांक 483/लें.पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भेंड़ी प. ह. नं. 13.	1.84	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	भेंड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2003

क्रमांक 483/लें.पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	शिकारीटोला प. ह. नं. 18	1.20	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	भेंड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2003

क्रमांक 483/ले.पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	सुरेगांव प. ह. नं. 14	16.11	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	सुरेगांव माइनर क्र. 1, 2, 4 एवं केंवट नवागांव माइनर क्र. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2003

क्रमांक 483/ले.पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	केंवट नवागांव प. ह. नं. 14	11.89	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	केंवट नवागांव माइनर क्र. 1, 2 एवं तेलीटोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2003

क्रमांक 483/ले.पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	तेलीटोला प. ह. नं. 18	2.57	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	तेलीटोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 जून 2003

क्रमांक 483/ले.पा./2003/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	मनकी प. ह. नं. 18	1.66	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	तेलीटोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 4-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	अचानकपुर प. ह. नं. 59	3.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	गांगीबहरा व्यपवर्तन योजना.

कबीरधाम, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 5-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मानपुर प. ह. नं. 54	23.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	झाड़ूटोला जलाशय

कबीरधाम, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 6-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भनसुला प. ह. नं. 42	114.71	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सुतियापाट परियोजना

कबीरधाम, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 7-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सरोधी प. ह. नं. 42	0.44	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सुतियापाट परियोजना

कबीरधाम, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 8-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बनखैरा प. ह. नं. 47	108.93	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सुतियापाट परियोजना

कबीरधाम, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 9-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	नवागांव प. ह. नं. 42	108.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सुतियापाट परियोजना

कबीरधाम, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 10-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कंटगीखुर्द प. ह. नं. 42	4.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सुतियापाट परियोजना

कबीरधाम, दिनांक 10 जून 2003

क्रमांक 11-अ/82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	गांगीबहरा प. ह. नं. 58	3.57	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	गांगीबहरा व्यपवर्तन योजना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2003

क्रमांक 4/अ-82/2002-2003/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	दो मुहानी	1.595	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 जून 2003

क्र. 1165/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-धमधा

(ग) नगर/ग्राम-पेन्डरीतरई, प. ह. नं. 34

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.26 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
334	0.06
357	0.12
351	0.30
360	0.18
372/1	0.19
350/1-4	0.12
358	0.17
348	0.04
356	0.17
361/1	0.20
373	0.21
359	0.02
353	0.02

(1)	(2)
349/2	0.08
366	0.18
361/2	0.20
योग	2.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेन्डरीतराई जलाशय का उलट निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 21 मार्च 2003

क्र. क/भू-अर्जन/7/अ-82/88-89.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सरगीपाल/दशापाल, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.681 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
दशापाल	
40/2	0.323
42	0.242
126/2	0.041
योग	0.606
सरगीपाल	
78/1	0.077
78/1	0.049
78/1	0.057
78/17	0.089
78/1	0.008
62/2	0.008
78/1	0.049
77	0.097
79/1	0.081
79/2	0.042
69	0.089
63	0.097
61	0.053
57/1	0.057
56	0.008
61/3	0.012
78/9	0.049
78/2	0.025
78/1	0.121
योग	1.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दशापाल तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/1/अ-82/91-92.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.766 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
123	0.040
125	0.101
126, 127	0.012
152	0.032
154	0.202
155/2	0.040
310, 311	0.332
308/5	0.008
309/2	0.303
313/8 ल/1	0.129
313/8 ल/2	0.129
313/10 ल	0.405
योग	1.766

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बडांजी कुम्हली पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणपपाल, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.408 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
19/6	0.028
19/9	0.097
19/10	0.057
45/2	0.049
45/1	0.049
48/1	0.049
48/3	0.057
57	0.008
59	0.069
60/2	0.097
60/3	0.097
60/4, 63/9	0.020
63/7	0.061
19/40	0.146
39/15	0.178
39/19	0.085
39/47	0.049
40/2	0.008
45/1	0.028
48/1	0.044
198	0.044

(1)	(2)
199/2	0.044
199/3	0.044
योग	1.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नारायणपाल उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/02/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घोटिया, प. ह. नं.22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.716 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/7	0.129
3/9 क	0.028
3/51, 3/9 ख	0.028
3/52, 3/9 ग	0.036
3/10 क	0.028
3/49, 3/10 ख	0.028
3/50, 3/10 ग	0.028
3/14	0.016
3/53, 3/14 ख	0.016
3/54, 3/14 ग	0.045
3/12	0.065
3/15	0.061
3/16	0.133
25/4	0.032
93/6	0.090
93/7	0.024
93/18	0.057
130/3	0.057
149/1	0.090
149/3	0.008
151	0.021
188/1	0.170
188/2	0.081
188/3	0.069
189	0.093
198	0.053
199	0.101
133/2	0.101
134/2	0.097
135/1	0.021
135/2	0.052
136	0.081
138	0.057
146/2	0.040
93/19	0.076
93/20	0.069
127/1	0.069
128/2	0.065
130/1	0.073
130/2	0.125
147/2	0.008
147/3	0.021
148	0.081
149/1	0.093
योग	2.716

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नारायणपाल उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1117/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-बिर्रा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.477 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1733/2	0.036
1734	0.024
1738	0.053
1817	0.040
1818/1	
1818/3	0.142
1825/2	0.182
योग 6	0.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिर्रा सब डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1118/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-बिर्रा, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.671 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2595	0.218
2751/1	0.227
3113	0.142
3112	0.024
3088	0.162
2744	0.053
3162	0.206
3164/2	0.425
3164/1	0.214
योग 9	1.671

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिर्रा सब डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1119/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैंजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिस्दा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.231 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1131/2	0.231
	1133/1	
	1134/3	
योग	1	0.231

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिर्रा सब डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1120/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.133 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	848/37	0.214
	848/38	0.340
	848/42	0.263
	848/43	0.061
	848/44	0.255
योग	5	1.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरसवानी उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1121/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.707 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
833/2	0.101
832/32, 833/15	0.040
831/3, 833/13	0.036
831/23, 833/16	0.061
831/31, 833/14	0.016
831/1	0.036
133/1	0.117
182/2, 182/3	0.004
288/6	0.061
188/1	0.004
188/3	0.061
204/6	0.101
294/1	0.012
429/1	0.057
योग 14	0.707

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-फरसवानी उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1122/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
854/3	0.016
852/3	0.085
योग 2	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसमंदा माइनर नं. 3 के सब माइनर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1123/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-भंवरमाल, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	935	0.081
योग	1	0 081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1124/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-भंवरमाल, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.237 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	907/1	0.040
	935	0.040
	937	0.121
	1018/1	0.036
योग	4	0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोहदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1125/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सोंठी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	506/1	0.008
	506/2	0.121
योग	2	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1126/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-लखाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.424 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16/2	0.036
	16/5	0.040
	17/3	0.089
	518/5	0.089
	516/3	0.049
	516/5	0.109
	477	0.008
	476/2	0.004
योग		0.424

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लखाली डि. ब्यू. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1127/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-जाटा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.149 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	615/1	0.020
	613/1	0.129
योग	2	0.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसमंदा माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1128/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
104	0.073

(1)	(2)
934/1	0.004
934/2	0.008
937/3	0.004
945/1	0.004
945/2	0.004
945/3	0.004
951	0.012
1063/2	0.020
1063/3	0.004
1098/2	0.012
1343/3	0.061
1065	0.016
योग 13	0.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1130/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
429/3	0.069
393/3	0.016
योग 2	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लखाली डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1131/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेंपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घिवरा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.625 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
555/2	0.016
1858/3	0.045
1847/1	0.061
1848/4	0.049
1891/2	0.061
1525/2 1525/3	0.134
1530/2	0.053
555/3	0.061
1414/1	0.004
1851/1 1851/2	0.081

(1)	(2)
555/6	0.020
1413/1	0.012
1852	0.028
योग 13	0.625

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिर्रा सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1132/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-छिवरा, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.667 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
117/3	0.109
158/2	0.089
158/3	0.077
119	0.024
154	0.093
149/2	0.210
121	0.065
योग 7	0.667

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1133/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जैजेपुर
(ग) नगर/ग्राम-हसौद, प. ह. नं. 38
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.267 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2199/1	0.028
2199/5	0.174
2216	0.012
2218/4	0.053
योग 4	0.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1134/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री सुकुल, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
84/2	0.101
163	0.069
91/1	0.020
218	0.053
219	
योग 4	0.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसदेव वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1135/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-पलाड़ी खुर्द, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.538 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
67/2	0.012
67/5	
67/6	
71/2	
72/2	
73/1	
74/2	
99/2	
116/1	
67/5	0.020
67/6	
71/2	
72/1	
73	
94	
99	
116/2	
67/6	0.045
71/2	
72/1	
73	
74/1	
99/3	
116/3	
67/16	0.057
67/17	0.053
67/18	0.081
67/23	
67/22	0.113

(1)	(2)
67/26	0.032
67/28	
67/29	
71/5	
72/5	
74/6	
99/7	
116/4	
67/32	0.040
71/6	
62/7	
73	
74/8	
99/3	
116/9	
104/1	
67/35	0.020
71/2	
72/9	
73	
74/10	
99/11	
67/2	0.065
67/32	
71/6	
72/4	
73	
74/8	
99/3	
116/9	
योग 10	0.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पलाड़ी सब माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1136/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
  (ख) तहसील-सक्ती
  (ग) नगर/ग्राम-बेल्हाडीह प. ह. नं. 11
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.679 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
7/3	0.049
274/4	0.008
7/5	0.081
7/7	0.109
290/5	0.028
7/8	0.057
7/9	0.040
273/1	0.036
290/2	0.049
273/3	0.020
290/6	0.077
295/2	0.008
295/3	0.117
योग 13	0.679

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1137/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-धनपुर, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.158 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
491	0.061
269/1	0.097
312	
योग 2	0.158

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धनपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1138/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरपारा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.844 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
135	0.057
138/2	0.081
137/2	0.101
144	0.057
145	0.077
146	0.077
281	0.028
147/1	0.049
277	0.020
278/1	0.036
274	0.008
271	0.040
270	0.040
269	0.032
268	0.032
314	0.081
143	0.016
147/2	0.008
280	0.004
योग 19	0.844

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डुमरपारा सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1139/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-डोगाकोहरौद प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.412 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3991	0.028
3571	0.024
3589	0.028
3573	0.049
5133	0.032
5136	0.093
5272	0.089
5356/1	0.045
5364	0.024
योग 9	0.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोगा-कोहरौद माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1140/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-पामगढ़

(ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्री, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.837 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
400/13	0.069
399/7	0.077
399/18	0.057
399/20	0.032
663	0.057
663/1-9	0.032
666	0.117
663/4	0.028
670/2	0.101
663	0.016
690/11	0.093
693	0.024
693/1	0.069
696/2	0.049
696/4	0.016
योग 15	0.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्री माइनर नं. 3 नहर नर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1141/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बारगांव, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	258/3	0.234
योग	1	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नेवरा बंद माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1142/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कोहका, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.308 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11/2	0.162
	11/1	0.146
योग	2	0.308

(2)-सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोहका वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1143/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-बिलारी, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.600 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/2	0.028
85/3	0.142
72/1	0.061
306/4	0.085
294/1	0.049
294/5	0.077
294/4	0.024
263/19	0.073

(1)	(2)
263/13	0.061
योग 9	0.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोहका उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1144/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जांजगीर
(ग) नगर/ग्राम-करमंदा, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.636 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
672	0.105
670	0.036
671	0.045
663/1	0.008
660/2	0.024
660/1	0.020
657	0.024
633	0.036
645/1	0.105
645/2	0.016
647	
648	
654	0.028
639	0.016
644	0.008
635/2	0.028
632	0.016
629	0.028
627/1	0.065
751	0.028
योग 18	0.636

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करमंदा मानइर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1145/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-पलाड़ी कला, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.096 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
934	0.057

(1)	(2)
935/3	0.049
769/3	0.045
768/3	0.049
765/9	0.036
765/12	0.040
403	0.040
435	0.154
604	0.036
606/1	0.004
605	0.024
607/1	0.008
603	0.049
612/1	0.016
613	0.024
615	0.020
602	0.012
400	0.049
402	0.020
404	0.028
405	0.053
406/1	0.024
310	0.032
305/1	0.045
305/5	0.040
305/4	0.004
430	0.053
429	
431/1	0.020
434	0.049
309	0.016
योग 30	1.096

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--पलाड़ी सब माइनर निर्माण हेतु.

(3)-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1146/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरपारा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.008 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1443/ 3 ङ/3	0.008
योग 1	0.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी उप शाखा निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1147/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-लहंगा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	447/2	0.040
योग	1	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दुरपा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1148/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-छितां पंडरिया, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	221/9	0.089
	210/2	0.069
	210/3	
	221/5	0.032
	221/6	0.069
	220	0.040
	219/2	0.036
	223/1	0.012
	219/3	0.028
	219/4	0.057
	219/1	0.036
	217/3	0.024
	210/4	0.130
	209/1	0.057
	209/3	0.020
	211/1	0.077
	211/6	0.053
	209/2	0.045
	207/1	0.065
	207/2	0.053
	208/2	0.065
	200/1	0.101
	201	0.004
योग	22	1.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिता पंडरिया माइनर नं.-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1149/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-दर्राभाठा, प. ह. नं. 17

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.176 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
221/4	0.024
221/5	0.101
218	0.121
297/9	0.109
297/15	0.081
297/7	0.065
297/11	0.089
297/16	0.105
297/2	0.036
298/2	0.162
299/1	0.045
299/4	0.020
293/3	0.109
300/1	
298/4	0.109
300/2	0.109
योग 14	1.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिता पंडरिया माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-लवसरा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.540 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1737/1	0.008
1737/2	0.028
1737/3	0.081
1737/4	0.113
1737/6	0.121
1622	0.081
908/3	0.040
869/2	0.012
893/1	0.024
1624/1	0.032
योग 10	0.540

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1150/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1151/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-रसौटा, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
759	0.121
योग 1	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगा-कोहरौद उप शाखा अंतर्गत माइनर नं. 7 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1152/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-पिपरदा, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
132/3	0.081
योग 1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुछेली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1153/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-संजय ग्राम, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.851 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
718/6	0.154
718/4	0.004
715/1	0.061
864	0.121
1079	0.061
870	0.113
856/2	0.073
853	0.081
1076	0.069

(1)	(2)
1085	0.065
1084	0.049
योग 10	0.851

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महुआ भाठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अप्रैल 2003

क्र. 1154/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-छिता पंडरिया, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.240 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/4	0.142
25/5	0.142
25/6	0.073
2510	0.081
2511	
2522	0.036
25/8	0.053
2518	0.073
15/2	0.045
15/3	
5/24	0.243
5/23	0.243
8/1	0.024
9	0.036
5/12	0.049
योग 13	1.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिता-पंडरिया माइनर नं. 1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्र. 100/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.251 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) पासीद माइनर	
112/1	0.077
112/2	0.089

(1)	(2)
94/1 ख	0.045
861/1	0.028
92	0.069
476	0.107
477	0.064
478	0.096
853	0.053
852	0.008
855	0.008
480/1 क	0.048
480/1 ख	0.070
480/1 ड	0.039
518	0.092
862/2	0.105
657	0.251
521/5	0.184
656	0.138
652	0.109
643	0.016
646/1	0.020
644/2 646/3	0.053
644/2	0.016
640	0.057
645/2	0.012
638/1	0.089
636/1-2	0.065
637	0.073
635/1 क	0.093
635/1 ख	0.036
635/1 ग	0.092
864/2	0.138
869	0.081
862/1	0.071
684/3 ख	0.012
864/4	0.053
862/2-3	0.161
519	0.047
योग	2.865

(ब) पासीद सब माइनर

(1)	(2)
628/3	0.068
849/1 क 849/2 क	0.068
844/1	0.029
844/2 क	0.101
850/2	0.032
850/3	0.028
843/2	0.060
योग	0.386
कुल योग	3.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पसीद माइनर एवं पासीद सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम बरौद, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.777 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
756/780/1	0.327
756/780/2	0.081
756/780/3	0.081
756/780/4	0.081
756/780/5	0.020
756/780/6	0.025
756/780/7	0.040
756/780/8	0.020
756/780/9	0.021
756/780/10	0.020
756/780/11	0.020
756/780/12	0.021
756/780/13	0.020
योग	0.777

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एस. ई. सी. एल. खनि कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 जून 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-बिजारी, प. ह. नं. 26

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.198 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	2.023
1/2	1.821
1/4	0.101
1/5	0.101
3	0.845
4	0.405
5/1	0.062
5/2	0.308
5/3	0.283
5/4	0.040
5/6	0.040
5/7	0.040
5/8	0.040
5/9	0.020
5/10	0.020
5/11	0.020
5/12	0.040
5/13	0.040
5/14	0.065
5/15	0.122
5/16	0.082
5/17	0.142
5/18	0.202
5/19	0.040
5/20	0.040
5/21	0.040
5/22	0.040
5/23	0.040
5/24	0.020
5/25	0.040
5/26	0.040
5/27	0.040
5/28	0.040
5/29	0.040
5/30	0.040
5/31	0.040
5/32	0.040
5/33	0.040
5/34	0.040

(1)	(2)
5/35	0.040
5/36	0.040
5/37	0.081
5/38	0.040
5/39	0.040
5/40	0.040
5/41	0.040
5/42	0.040
5/43	0.020
5/44	0.020
5/45	0.020
5/46	0.040
5/47	0.040
5/48	0.040
5/49	0.040
5/50	0.040
5/51	0.040
5/52	0.040
5/53	0.040
5/54	0.040
5/55	0.020
5/56	0.040
5/57	0.040
5/58	0.040
5/59	0.020
5/60	0.020
5/61	0.020
5/62	0.040
5/63	0.040
5/64	0.040
5/65	0.040
5/66	0.020
5/67	0.040
5/68	0.040
5/69	0.040
5/70	0.020
5/71	0.040
5/72	0.040
5/73	0.040
5/74	0.020
5/75	0.040
5/76	0.040
5/77	0.020
5/78	0.040
5/79	0.040
5/80	0.081
5/81	0.121
5/82	0.061
6/1	0.091
6/2	0.188
6/3	0.172
6/4	0.040
6/5	0.040
6/6	0.040
6/7	0.081
6/8	0.040
7/2	0.324
7/3	0.809
7/4	0.324
8	1.011
9	4.674
10	0.778
20	0.158
21/1	0.349
21/2	0.202
23/1	0.591
23/2	0.591
24	0.470
योग 109	21.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–एस. ई. सी. एल. खनि कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग.

कोरबा, दिनांक 20 जून 2003

क्रमांक 7568/भू-अर्जन/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधन भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-बतारी प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
272/2-275	1.50
274	0.90
273/3	1.00
273/2	0.25
273/4	0.25
273/5	0.25
273/6	0.25
281/3	3.30
281/4	5.00
281/2	1.50
273/1	1.05
272/4	5.00
योग	20.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा कोल बेनीफिकेशन संयंत्र लगाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), कटघोरा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईशिता राय, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.